बगैर हाजिरी 35 साल में बांट दिए 275 करोड़

आरटीआई में हुए खुलासे के बाद जागा बीयू प्रबंधन, अब होगी जांच

- पहले दर्ज नहीं होती थी उपस्थिति
- सार्थक एप आने के बाद शुरू हुई पारदर्शी व्यवस्था

नवभारत न्यूज

भोपाल, 4 नवंबर. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन भुगतान की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है.

वर्ष 1988 से 2023 के बीच करीब 275 करोड़ रुपए वेतन के रूप में बांटे गए, लेकिन इस दौरान कर्मचारियों की हाजिरी का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं करा सका. आरटीआई के जवाब में यह भी सामने आया कि पहले विश्वविद्यालय में हाजिरी दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी. अब सार्थक एप के जरिए उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात कही गई है. ऐसे में सवाल है कि जब 35 साल तक हाजिरी का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया तो कर्मचारियों की उपस्थिति और नियमित ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए वेतन बिलों का सत्यापन किस आधार पर होता रहा.

आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार 1988 से 2023 तक विश्वविद्यालय में हाजिरी में गड़बड़ी का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ.हालांकि इसका एक कारण यह भी सामने आया है कि पहले उपस्थिति दर्ज करने की नियमित व्यवस्था ही नहीं थी.यानी इतने लंबे समय तक कर्मचारियों की उपस्थिति का हिसाब रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, इसका स्पष्ट रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.करीब 275 करोड़ रुपए के वेतन भुगतान के बीच यह स्थिति विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है. विश्वविद्यालय में शुरुआती दौर में शिक्षण स्टाफ के पांच सदस्य थे.समय के साथ विभागों की संख्या बढ़कर 20 हो गई और शिक्षकों की संख्या 40 तक पहुंच गई.इसके अलावा 21 संविदा शिक्षक और करीब 250 अतिथि विद्वान भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं.वर्तमान में विश्वविद्यालय का सालाना खर्च करीब 13 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.इतने बड़े अमले और खर्च के बावजूद पुराने वर्षों की उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना जांच का अहम विषय बन गया है.

वेतन बिलों की जांच की मांग

पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह ने आरटीआई के माध्यम से कर्मचारियों की हाजिरी और वेतन भुगतान से जुड़ी जानकारी मांगी थी .उनका सवाल है कि जब उपस्थिति का रिकॉर्ड ही नहीं था तो वेतन बिल किस आधार पर तैयार और प्रमाणित किए जाते रहे .उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के साथ वेतन बिलों को प्रमाणित करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कराने की मांग की है .

इनका कहना है..

यह प्रकरण मेरी नियुक्ति के पूर्व का है .जानकारी सामने आई है . बीयू प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच करेगा .वर्तमान में अटेंडेंस की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से क्रियाशील है .जांच में जो भी जानकारी सामने आती है, प्रशासन निश्चित रूप से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा .

-समर बहादुर सिंह
रजिस्ट्रार, बीयू

दीपावली-छठ पर रानी कमलापति से चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें

- गोरखपुर और दानापुर के लिए होगा संचालन
- भोपाल मंडल के कई स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 4 नवंबर . दीपावली और छठपर्व पर ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के लिए तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

तीनों ट्रेनें एक-एक फेरे में संचालित होंगी. इनका लाभ भोपाल मंडल के रानी कमलापति, विदिशा, बीना, नर्मदापुरम और इटारसी सहित रास्ते के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा. तीनों ट्रेनों में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे. पहली ट्रेन रानी कमलापति-रीवा स्पेशल (02185) 5 नवंबर को रात 10:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचेगी. वापसी में रीवा-रानी कमलापति स्पेशल (02186) 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर रात 9:15 बजे भोपाल पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर और सतना में रहेगा. दूसरी ट्रेन रानी कमलापति-गोरखपुर स्पेशल (01663) 7 नवंबर को शाम 6:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में गोरखपुर-रानी कमलापति स्पेशल (01664) 9 नवंबर को सुबह 7:50 बजे रवाना होकर 10 नवंबर की रात 1:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी. इस ट्रेन को विदिशा, बीना, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. तीसरी ट्रेन रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल (01661) 11 नवंबर को दोपहर 2:25 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे दानापुर पहुंचेगी.

दिल्ली में वोट चोर-गद्दी छोड़ रैली से गायब रहे युवा

- कांग्रेस के 5 उपाध्यक्ष, 32 सचिव समेत 9 जिलों के अध्यक्षों पर गिरी गाज
- 60 पदाधिकारियों को किया सस्पेंड

नवभारत न्यूज

भोपाल. कांग्रेस की दिल्ली में 1 नवंबर को हुई बोट चोर-गद्दी छोड़ से गायब रहे युवा कांग्रेस के 5 उपाध्यक्ष, 32 सचिव, 9 जिलाध्यक्ष समेत 60 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

यह कार्यवाही भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय निर्देश पर की गई है. निलंबित किए गए पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बताएं जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एआईसीसी के निर्देश पर सभी सेंट्रल आर्गनाइजेश महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से हर जिले से पांच सौ कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य तय कर दिया गया था तो युवा कांग्रेस के ये पदाधिकारी रैली में क्यों नहीं पहुंचे, जबकि इनकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचने की थी. इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली का आह्वान राहुल गांधी ने किया था.

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ रैली में शामिल नहीं होने वाले प्रदेश युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनसे जवाब मांगा गया है. इससे साफ है कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश संगठन में जल्दी ही बदलाव किए जा सकते हैं. निलंबित किए गए पदाधिकारियों में जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के नेता शामिल हैं. संगठन की ओर से इसे अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है.

32 सचिवों पर भी गिरी गाज

संगठन ने सचिव स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के अनुसार, रैली में अनुपस्थित रहने वाले 32 सचिवों को भी निलंबित किया गया है. इस तरह कुल 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है.

संगठनात्मक अनुशासन को लेकर सख्त चेतावनी

दिल्ली में आयोजित वोट चोर रैली कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम था. ऐसे में प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को संगठन ने गंभीरता से लिया. राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद की गई इस कार्रवाई से प्रदेश के युवा कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है.

5 उपाध्यक्ष और 14 महासचिवों पर गिरी गाज

कार्रवाई की जद में प्रदेश युवा कांग्रेस के 5 उपाध्यक्ष भी आए हैं . इनमें शिवराज यादव, राजवीर सिंह कुड़िया, योगिता सिंह परिहार, प्रमोद सिंह खरे और नीरज पटेल के नाम शामिल हैं . इसके अलावा महासचिव स्तर के 14 पदाधिकारियों को भी निलंबित किया गया है . इनमें रोहित राजोरिया, अब्दुल करीम कुरैशी, विनय पांडे और राहुल हितेश ठाकुर के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं .

9 जिलाध्यक्षों पर भी हुई कार्रवाई

निलंबित किए गए 60 पदाधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम 9 जिलाध्यक्षों के हैं . इनमें मैहर से सौरभ शर्मा, आगर से पृथ्वीराज चौहान, नीमच से मनमोहन शक्तावत, बुरहानपुर से अर्जुन जंगले, अनूपपुर से मनवेंद्र मिश्रा, गुना से पंचम भील, बड़वानी से आदित्य गोयल, छतरपुर से मनवेंद्र सिंह परमार और भिंड से मनीष पुरोहित शामिल हैं . जिलाध्यक्षों पर हुई इस कार्रवाई को प्रदेश युवा कांग्रेस में अनुशासन को लेकर संगठन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है .

कर्मचारियों की दीवाली फीकी, नहीं मिला डीए

- 2 फीसदी डीए बढ़ाने का दिया था आदेश
- कर्मचारियों संगठनों ने विंडो खोलने की मांग की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 4 नवंबर. वित्त विभाग ने प्रदेश के शासकीय सेवकों को 2 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश तो जारी कर दिए, इस आदेश को अक्टूबर का वेतन जो नवंबर में देय था, उसमें प्रभावी होना था, लेकिन कर्मचारियों को नवंबर में मिले वेतन में दो फीसदी डीए बढ़कर नहीं मिला. इससे कर्मचारियों में एक बार फिर मायूसी छा गई है.

बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी किए, वहीं उससे पहले ही वेतन बिल कोषालयों में भेज दिए गए थे, अब वेतन मिलने के बाद दीपावली से पहले आईएफएमआईएस विंडो बंद हो गया है, ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा नहीं मिल पाया. इस स्थिति तो देखते हुए कर्मचारी संगठनों में विंडो दोबारा खोलने की मांग करना शुरू कर दिया है. उन्होंने अब ऐरियर की किश्त के साथ दो फीसदी डीए देने की मांग की है. वित्त विभाग के आदेश के तहत ऐरियर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दिया जाना है, लेकिन अभी नवंबर का ऐरियर नहीं मिला है. यही स्थिति पेंशनरों की भी बनी हुई है. उन्हें भी मंहगाई राहत का फायदा नहीं मिला है.

एमपी-एमएलए के मुकदमे वापस लेने पर हाई कोर्ट करेगा फैसला

जबलपुर. सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार हाई कोर्ट के पास रहेगा. एमपी-एमएलए विशेष अदालत में लंबित ऐसे मामलों में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर अब हाई कोर्ट विचार करेगा. सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह उपस्थित हुए. उन्होंने युगलपीठ को बताया कि एमपी-एमएलए विशेष अदालत में लंबित 17 प्रकरणों में अभियोजन वापसी की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं. इन पर सुनवाई लंबित है. इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में अभियोजन वापस लिए जाने की जानकारी भी प्रस्तुत की गई. दरअसल, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जनहित याचिकाओं के माध्यम से निगरानी रखने के निर्देश दिए थे.

51 साल तक बिजली सप्लाई का साथी रहा ट्रांसफार्मर रिटायर

बेहतर रखरखाव से दोगुने समय तक किया काम

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 4 नवम्बर . पांच दशक तक प्रदेश की बिजली व्यवस्था का हिस्सा रहा 20 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर अब इछावर सब स्टेशन से रिटायर हो गया.

सीहोर जिले के इछावर स्थित 132 केवी सब स्टेशन में लगे इस ट्रांसफार्मर को एमपी ट्रांसको के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भावुक माहौल में विदाई दी. वर्ष 1975 में भारत बिजली लिमिटेड द्वारा निर्मित इस ट्रांसफार्मर ने अपनी निर्धारित कार्यशील आयु से दोगुने से भी अधिक, करीब 51 साल तक सेवाएं दीं. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि पुराने ट्रांसफार्मर के स्थान पर अब 50 एमवीए क्षमता का नया पावर



ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है. इससे इछावर सब स्टेशन की कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता 60 से बढ़कर 90 एमवीए हो गई है. इससे क्षेत्र में बढ़ती बिजली मांग पूरी करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप पारेषण व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी.

एमपी ट्रांसको के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश शांडिल्य ने बताया कि यह ट्रांसफार्मर प्रदेश के विभिन्न सब स्टेशनों पर अपनी सेवाएं दे चुका था.

प्रदेश के 45 हजार बिजली कर्मचारियों का अल्टीमेटम

भोपाल. प्रदेश की छह बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने 7 और 8 नवंबर को काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है. इस संबंध में मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा में बैठक हुई. इसमें कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) राकेश शर्मा, आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महासचिव दिनेश सिसोदिया और जनता यूनियन के उपाध्यक्ष ओपी सक्सेना शामिल हुए. बैठक में कर्मचारियों की 34 मांगों पर चर्चा हुई. संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों से कर्मचारी दीपावली और राष्ट्रीय त्योहारों पर भी ड्यूटी करते आ रहे हैं, लेकिन करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों को अतिरिक्त काम का पारिश्रमिक नहीं मिला है.



हिट एंड रन का खौफनाक राज

- 70 लाख का इंश्योरेंस, लव मैरिज और सात फेरों का खूनी अंत
- जिस पति को माना रक्षक वही निकला जल्लाद!

अजहर खान







जबलपुर. जब एक लड़की अपने ही घर-परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी शख्स से प्यार करती है, तो वह उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है. वह सोचती है कि उसका पति उसका सबसे बड़ा रक्षक है. लेकिन क्या हो... जब वही रक्षक, पैसों की भूख में अंधा होकर जल्लाद बन जाए?

लेकिन अपराधी चाहे कितना भी पढ़ा-लिखा हो, कानून की समझ रखने वाला हो, वो एक न एक ऐसी गलती जरूर छोड़ जाता है जो उसकी साजिश को बेनकाब कर देती है. जबलपुर के पाटन हटेपुर-रानीताल मुख्य मार्ग की सड़क, 4 सितंबर की उस काली रात गवाह बनी एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली दास्तान की... जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सड़क पर बेरहमी से कुचलवा दिया!

शुरुआत में यह मामला एक सड़क हादसे जैसा था. कातिल पति ने सोचा था कि उसने कानून की पढ़ाई की है तो वह सड़क हादसे का ड्रामा रचकर 70 लाख रुपये का इंश्योरेंस ऐंठ लेगा. पुलिस ने जब इस दुर्घटना की चादर में लिपटे परफेक्ट मर्डर की जांच शुरू की, तो मामला उलझता चला गया. यह अपराध क्रमांक 634/26 दर्ज हुआ. पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगी, तो सबके होश उड़ गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि मृतिका के सिर पर भारी गाड़ी का पहिया सिर्फ एक बार नहीं चढ़ा, बल्कि दोबारा सिर को कुचला गया है! यह कोई हादसा नहीं, बल्कि मर्डर था! पुलिस टीम की पैनी नजरों ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिन-रात एक कर खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया. जो पति जीवनभर साथ निभाने का वादा करता है, वही लालच में इतना गिर गया कि अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे डाली. आज कविता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कानून इन दरिंदों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा. आज सभी सलाखों के पीछे अपनी नियति का इंतजार कर रहे हैं.

रात का सन्नाटा और परफेक्ट मर्डर-- हटेपुर-रानीताल के बीच, सूनी पुलिया के मोड़ पर 4 सितंबर 2026 को सड़क किनारे लाल रंग की स्कूटी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी मिली. पास ही खून से लथपथ एक 31 साल की महिला की लाश बरामद हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस कविता चौधरी की शिनाख्त करती है, जो पाटन के स्टांप वेंडर प्रयास पांडे की पत्नी थी. शुरुआती मंजर को देख यही लगा कि यह एक दर्दनाक हिट-एंड-रन का मामला है. पुलिस मर्ग कायम करती है और धारा 106(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर देती है. कातिल को लगा कि उसका परफेक्ट मर्डर का प्लान कामयाब हो गया. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस की पारखी नजरों को घटनास्थल पर कुछ कड़ियां मिसिंग लगती हैं. एक्सीडेंट का तरीका सामान्य नहीं लग रहा था. स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है. इस बीच पुलिस टेक्निकल एविडेंस और मुखबिरों का जाल बिछती है. तभी एक ठोस सुराग हाथ लगता है हादसे के वक्त वहां एक संदिग्ध पिकअप वाहन देखा गया था. पुलिस कडियां जोड़ती है और पाटन के चौधरी मोहल्ले से तीन संदिग्ध युवकों को विक्रम चौधरी (30), रामजी चौधरी (22) करिया उर्फ धनीराम चौधरी (21) को उठाती है. पूछताछ में आरोपियों ने जो सच उगला, उसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए. यह हादसा नहीं, बल्कि सुपारी



लव मैरिज से शुरू हुई खौफनाक कहानी

कविता मूलतः नरसिंहपुर की रहने वाली थी. वह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी साल 2022 में उसकी पहचान पाटन के स्टांप वेंडर प्रयास पांडे से हुई. 2024 में दोनों ने लव मैरिज कर थी. शादी के बाद प्रयास पांडे को पता चला कि कविता के नाम पर कई इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, जिनकी कीमत 70 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच थी! यहीं से प्रयास के दिमाग में शैतानी ख्याल ने जन्म लिया. अगर कविता की मौत सड़क हादसे में होती, तो बीमा के रुपये सीधे प्रयास को मिलने वाले थे. पैसों की हवस में प्रयास ने अपनी ही पत्नी की मौत का सौदा कर डाला. प्रयास ने अपने साथी मानसिंह लोधी के जरिए इन तीनों शूटरों से संपर्क किया. बाकायदा गुमराह करने के लिए 11 महीने के एग्रीमेंट पर एक पिकअप गाड़ी किराए पर ली. खुद इन आरोपियों को पाटन लाया, कविता की लाल स्कूटी की पहचान कराई. एडवांस पैसे दिए.

कत्ल का वो मंजर...सीधे सिर पर चढ़ा दो, बचना नहीं चाहिए!

4 सितंबर की रात आरोपी पिकअप लेकर हटेपुर पुलिया के पास छिपकर शराब पीते रहे और कविता के आने का इंतजार करने लगे. शराब खत्म होने पर बोतल वहीं फेंक दी. रात करीब 9 बजे, दूर से सफेद लाइट वाली लाल स्कूटी पर कविता आती दिखी. जैसे ही कविता की स्कूटी पिकअप के आगे निकली, ड्राइवर विक्रम ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया. तेज रफ्तार पिकअप ने कविता की स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. कविता हवा में उछलकर सड़क पर गिरी और दर्द से कराहने लगी. तभी धनीराम और रामजी गाड़ी से नीचे उतरे, स्कूटी को घसीटकर अलग किया और ड्राइवर सीट पर बैठे विक्रम को चिल्लाए विक्रम! अब गाड़ी का चक्का सीधे इसके सिर पर चढ़ा दो, बचना नहीं चाहिए! क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए विक्रम ने पिकअप का भारी पहिया कविता के सिर पर रौंद दिया. तड़प-तड़प कर कविता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.

एक मौत, दो कहानियां... बिस्तर पर पत्नी का शव और पास पड़ा था जहरीला कोबरा!

मौत के बाद भी नहीं खुला राज...

धर्मेन्द्र सिंह चौहान

इंदौर. शहर के संचार नगर एक्सटेंशन में एक घर के भीतर महिला की मौत हो चुकी थी. बिस्तर पर उसका शव पड़ा था और पास ही एक जहरीला कोबरा मृत अवस्था में मिला था. पति की कहानी साफ थी. पत्नी को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई. पहली नजर में घटनास्थल पर मिले हालात भी इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे.

लेकिन एक सवाल था, जिसका जवाब मिलना बाकी था. आखिर घर में सांप आया कहां से? क्या वाकई महिला की मौत सर्पदंश से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश थी, जिसे सांप के काटने का रूप देने की कोशिश की गई थी? यह मामला था शिवानी पटेरिया की संदिग्ध मौत का. तारीख थी 1 दिसंबर 2019. पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने पत्नी की मौत को सामान्य सर्पदंश बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट उसकी पूरी कहानी बदल देगी.

शिवानी की मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. पति की ओर से बताई गई कहानी में मौत की वजह सांप का काटना थी, लेकिन चिकित्सकीय जांच में जो बात सामने आई, उसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया. पोस्टमार्टम में शिवानी की मौत का कारण दम घुटना बताया गया. शरीर में सांप के जहर से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई. अब पुलिस के सामने सवाल था कि यदि मौत सर्पदंश से नहीं हुई तो घर में मृत कोबरा क्यों मिला? यहीं से जांच की दिशा बदल गई. पुलिस ने पति के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जोड़कर मामले की पड़ताल शुरू की. पुलिस जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाह पेश किए. इनमें पुलिसकर्मी, चिकित्सकीय साक्ष्य से जुड़े गवाह और अन्य महत्वपूर्ण गवाह शामिल थे. शिवानी के मायके पक्ष के लोगों ने भी अदालत में पति-पत्नी के बीच चल रहे तनाव और पारिवारिक विवादों के बारे में गवाही दी. अभियोजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर अदालत के सामने पूरी घटना का क्रम रखा. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण किया. करीब साढ़े छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 24 जून 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की अदालत ने अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को दोषी ठहराया. अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा साक्ष्य मिटाने और संरक्षित वन्यजीव कोबरा की हत्या के मामले में भी अलग अलग सजा सुनाई गई. 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. इस मामले में कोबरा की हत्या को भी गंभीरता से लिया, क्योंकि वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है.



- पत्नी को तकिये से दम घोंटकर मारा
- फिर रची थी सर्पदंश की कहानी
- पीएम रिपोर्ट ने खोली हत्या की साजिश
- अदालत ने सुनाई उम्रकैद
- अदालत में 28 गवाहों ने खोलीं साजिश की परतें
- साढ़े छह साल बाद आया फैसला

एक रिपोर्ट ने बेनकाब कर दी पूरी कहानी...

शिवानी हत्याकांड में आरोपी ने मौत को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की थी. घटनास्थल पर मृत कोबरा भी मिला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया कि महिला की मौत सांप के जहर से नहीं हुई थी. अलवर से खरीदे गए कोबरा से लेकर घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और अदालत में पेश 28 गवाहों तक, हर कड़ी ने मामले को समझने में भूमिका निभाई. आखिरकार जिस मौत को सांप के काटने से हुई घटना बताने की कोशिश की गई थी, वह अदालत में हत्या साबित हुई. इस मामले ने दिखाया कि अपराध के बाद बनाई गई कहानी कितनी भी सोची समझी क्यों न हो, वैज्ञानिक साक्ष्य उसकी परतें खोल सकते हैं. शिवानी हत्याकांड का फैसला इसी बात की मिसाल है कि कभी-कभी अपराधी की बनाई कहानी से ज्यादा सच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है.

राजस्थान के अलवर से आया था मौत का सामान

जांच में जो कहानी सामने आई, वह चौंकाने वाली थी. अमितेश ने राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर एक सपेरे से करीब पांच हजार रुपए में कोबरा खरीदा था. यानी सांप अचानक घर में नहीं पहुंचा था, उसे वहां लाने के पीछे एक योजना थी. पहले शिवानी की हत्या की गई और फिर उसके शरीर पर कोबरा से कटवाने के निशान बनवाए, ताकि मौत का कारण सर्पदंश लगे. इसके बाद कोबरा की भी हत्या कर दी. इस तरह घटनास्थल पर ऐसे हालात तैयार किए, जिन्हें देखकर पहली नजर में किसी को भी महिला की मौत सांप के काटने से होने का भ्रम हो सकता था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी थी.

तकिये से दबाया था मुंह, दम घुटने से हुई थी मौत...

अदालत में पेश किए गए अभियोजन के साक्ष्यों के अनुसार, 1 दिसंबर 2019 को अमितेश ने पत्नी शिवानी का तकिये से मुंह दबाकर दम घोंट दिया था. उसकी मौत के बाद सर्पदंश का दृश्य तैयार किया. पुलिस के लिए यह साबित करना आसान नहीं था कि घर में हुई मौत के पीछे पति की ही भूमिका थी. घटनास्थल पर मिला मृत कोबरा, पति की ओर से बताई गई कहानी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट- इन सभी कड़ियों को जोड़ना जरूरी था. जांच में मिले वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस मामले में अहम साबित हुए. चिकित्सकीय साक्ष्यों ने स्पष्ट कर दिया कि शिवानी की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी.